संख्या-२५/७/78-2-2011-11आई.टी./2001

प्रेषक,

चन्द्र प्रकाश
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, अपट्रान इण्डिया लि., लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि., साहिबाबाद, गाजियाबाद।
5. प्रबन्ध निदेशक, श्रीट्रान इण्डिया लि., साहिबाबाद, गाजियाबाद।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः 17 फरवरी, 2011**

विषयः कम्प्यूटर के एप्लीकेशन साफ्टवेयर क्रय/विकास प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1518/78आई.टी.-2-2002 दिनांक 16.08.2002 एवं शासनादेश संख्या-137/78-2-2006आई.टी./2001 दिनांक 19.01.2006द्वारा विभिन्न विभागों के लिए विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप एप्लीकेशन साफ्टवेयर क्रय करने/विकसित कराने के कार्य में सुगमता हेतु कम्प्यूटर के एप्लीकेशन साफ्टवेयर क्रय/विकास प्रक्रिया का निर्धारण किया गया था जिसमें सम्बन्धित विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/ परिषदों/स्वायत्तशासी निकायों के लिए तीन विकल्प सुझाए गए।

क. वह क्रय प्रक्रिया अपने स्तर पर आयोजित करें।

ख. वह यूपीडेस्को, उ.प्र. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि., अपट्रान पावरट्रानिक्स लि. एवं श्रीट्रान इण्डिया लि. को क्रय आदेश दें।

ग. वह सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारियों को क्रय हेतु अधिकृत करें।

2. विभागों/संस्थाओं द्वारा यदि एप्लीकेशन साफ्टवेयर क्रय/विकास का कार्य उक्त बिन्दु-ख के अनुसार यदि आई.टी. विभाग के नियंत्रणाधीन उक्त निगमों को आवंटित किया जाता है तो उक्त निगमों द्वारा एप्लीकेशन साफ्टवेयर क्रय/विकास का कार्य उनके द्वारा सूचीबद्ध की गयी कम्पनियों से कराए जाने का प्राविधान उक्त शासनादेश दिनांक 16.08.2002 में दिया गया है। विभिन्न विभागों/संस्थाओं द्वारा यदि आई.टी. विभाग के उक्त निगमों के माध्यम से एप्लीकेशन साफ्टवेयर क्रय/विकास का कार्य कराया जाता है तो उसके लिए उक्त निगमों द्वारा अपनी सूचीबद्ध संस्थाओं से कार्य कराने हेतु उनसे वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त किए जाने हेतु पारदर्शी प्रक्रिया आवश्यक है।

3. उक्त के क्रम में शासन के विभिन्न विभागों/संस्थाओं द्वारा आई.टी. विभाग के उक्त निगमों के माध्यम से यदि एप्लीकेशन साफ्टवेयर क्रय/विकास का कार्य कराया जाता है तो उसके लिए निगमों द्वारा निम्न प्रक्रियानुसार सूचीबद्ध संस्थाओं में से किसी एक संस्था का चयन एप्लीकेशन साफ्टवेयर क्रय/विकास कार्य के लिए किया जाएगाः-

क. निगमों को शासन के विभिन्न विभागों/संस्थाओं से कार्य प्राप्त होने के उपरान्त प्रस्ताव तैयार किया जाएगा जिसमें एप्लीकेशन साफ्टवेयर क्रय/विकास कार्य हेतु स्कोप आफ वर्क स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा तदोपरान्त सूचीबद्ध संस्थाओं को स्कोप आफ वर्क उपलब्ध कराते हुए उनसे कार्य हेतु वित्तीय प्रस्ताव/कोटेशन प्राप्त किए जाएंगे।

ख. उक्त कोटेशन प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक होगा कि निगमों में समस्त सूचीबद्ध संस्थाओं को स्कोप आफ वर्क उपलब्ध कराते हुए उनसे बन्द लिफाफे में वित्तीय प्रस्ताव/कोटेशन निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त किए जाएंगे तथा वित्तीय प्रस्ताव/कोटेशन होने पर ही समिति के समक्ष समस्त प्रस्ताव एक साथ खोले जाएंगे।

ग. जिस भी संस्था का वित्तीय प्रस्ताव न्यूनतम होगा उसी संस्था को कार्यावंटित किया जाएगा।

घ. उक्त हेतु निगम स्तर पर अधिक सुस्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित करते हुए निगमों को विस्तृत प्रक्रिया निगम स्तर पर तैयार करनी होगी जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिस भी सूचीबद्ध संस्था को कार्य आवंटित हो उसकी प्रक्रिया पूर्ण रूप से पारदर्शी हो तथा संस्था का चयन न्यूनतम बिड मूल्य के आधार पर हो।

उक्त प्राविधान केवल एप्लीकेशन साफ्टवेयर क्रय/विकास कार्य के लिए होंगे। आई.टी./आईसीटी/ई-गवर्नेन्स योजनाओं को टर्न-की /BOO/BOOT मॉडल पर विकसित किए जाने हेतु शासनादेश संख्या-1518/78आई.टी.-2-2002 दिनांक 16.08.2002 एवं सहपठित शासनादेश संख्या-137/78-2-2006-आई.टी./2001 दिनांक 19.01.2006 में प्राविधान किया गया है परन्तु टर्न-की /BOO/BOOT मॉडल योजनाओं के लिए संस्था के चयन हेतु उक्त प्रक्रिया लागू नहीं होगी अपितु यह कार्य प्रत्येक प्रकरण में खुली निविदा प्रक्रिया अपनाते हुए किया जाएगा।

भवदीय,

(चन्द्र प्रकाश)
प्रमुख सचिव